

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 40 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

किशन लाल	उनवान	सरकार
	बनाम	

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 12.04.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील प्रतिवादी अनुपस्थित वकील वादी ने उपस्थित होकर वाद पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर नोट प्रेस किया व सहमति के हस्ताक्षर किये। अतः वकील वादी के निवेदन अनुसार वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर कम हो।



(भावना सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर

